उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या : 56/2020/1430 /छप्पन-2020-04(सा0)/2020
लखनऊ : दिनांक : 28 अगस्त, 2020
फार्म बी0एम0-9 (भाग-1)
पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन
(बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखें)

अनुदान संख्या व नाम : अनुदान संख्या-38, नागरिक उड्डयन अनुभाग **वित्तीय वर्ष : 2020-21** **(धनराशि लाख रूपये में)**

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में) पूंजीगत लेखा	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
पूंजीगत लेखा-लेखाशीर्षक-5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-60-भूमि क्रय					
505300028002060	8900.00	300.00	300.00	300.00	8600.00
योग	8900.00	300.00	300.00	300.00	8600.00

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में) पूंजीगत लेखा	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
पूंजीगत लेखा-लेखाशीर्षक-5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-04-वायुयान/हेलीकाप्टर की विशेष मरम्मत-42-अन्य व्यय					
505300808000442	100.00	400.00	300.00	300.00	400.00
योग	100.00	400.00	300.00	300.00	400.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत के कारण निम्नानुसार है:- चालू वित्तीय वर्ष में आवश्यकतानुसार भूमि आदि का कार्य प्रस्तावित होने के कारण बचत सम्भावित है। **2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्न कारणों से है- निदेशालय के हॉकर वायुयान एवं बेल हेलीकाप्टर में विशेष मरम्मत कराये जाने के कारण व्यायधिक्य हो रहा है।** **प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर- 150 ,151, 154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।** **सुरेन्द्र सिंह** **विशेष सचिव,** **नागरिक उड्डयन विभाग।**	**आर.ई. संख्या- ई-7- 46/दस-2020, दिनांक : 26 अगस्त, 2020** **सेवा में,** **महालेखाकार,** **(लेखा एवं हकदारी) प्रथम,** **उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।** **हस्ताक्षर .....** **राजेन्द्र राम** **अनु सचिव,** **वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उत्तर प्रदेश शासन।**
<u>संख्या :56/2020/1430(1)/छप्पन-2020-तद्दिनांक</u> **प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-** **1- निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ।** **2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।** **3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।** **4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7** **5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो प्रतियों में)** **6- गार्ड बुक।**	**डॉ सत्य प्रकाश तिवारी** **अनु सचिव,** **नागरिक उड्डयन विभाग।**

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।